

क्रमांक: प. 35(1) गृह 9 2006 पार्ट

जयपुर दिनांक

अधिसूचना

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि बाडमेर जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो सकते हैं। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा के बाडमेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 24.05.2023 एवं पाकिस्तान बार्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 24.05.2023 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 24.05.2023 एवं आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 24.05.2023 की अवधि एक्टद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर को उनके पत्र आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 24.05.2023 एवं आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 24.05.2023 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय बाडमेर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर।
6. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। साफ्ट कॉपी संयुक्त शासन सचिव गृह गुप.6 विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग में भेजी गई है।
7. संयुक्त शासन सचिव गृह गुप.6 विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग में भेजी गई है।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Seema Kumar  
Designation: Joint Secretary To  
Government of Rajasthan  
Date: 2023.06.23 11:08:26 IST  
Reason: Approved

